संख्याः 2528 /XVII(4)/2011/02/09 टी0सी0

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011

विषयः– **आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत संचालित नन्दा देवी कन्या योजना के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 897/XVII(4)/2010/02/2011,दिनांक 18-4-2011 तथा 1544/XVII(4)/2010/02/2011,दिनांक 4-8-2011 के अनुक्रम में एवं आपके पत्र संख्या 1948/न0दे0क0यो0-1052(2) /2011-12 दिनांक 1-12-2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल "नन्दा देवी कन्या योजना" के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 2,65,15,000/- (रू0 दो करोड़ पैंसठ लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत पूर्व से निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत प्रथम किश्त के पूर्ण/ संतोषजनक व्यय होने के उपरान्त ही नियमानुसार योजनान्तर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।

3.. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्याः15 (आयोजनागत पक्ष) के मुख्य लेखा शीर्षकः 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 -समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-06- बाल कल्याण की विविध योजनायें-0604-नन्दा देवी कन्या योजना के अन्तर्गत मानक मद संख्या-42-अन्य व्यय से वहन किया जायेगा।

4.. यह स्वीकृति वित्त विभाग,उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 307(P) /XXVII(3)/2011 दिनाँक 09.12.2011 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्याः 2528(1)/XVII(4)/2011 **तद्‌दिनाँक।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़, माजरा देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
5. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रदीप जोशी)
अनु सचिव